ग्रामीण जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ तथा वर्तमान में आकलित जनसंख्या लगभग 17.00 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 260110 है, जिनमें से 2,33,341 बस्तियाँ पूर्णतः आच्छादित, 79933 अनाच्छादित तथा 18,776 आंशिक आच्छादित चिन्हित हुई थीं।

उक्त समस्त अनाच्छादित तथा आंशिक आच्छादित बस्तियों को मानक के अनुसार 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर पेयजल सुविधा हैण्डपम्प/पाइप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2018 तक 2783718 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग प्रत्येक 61 व्यक्ति पर 1 हैण्डपम्प स्थापित गये है। इस प्रकार पेयजल की न्यूतम आवश्यकता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक की दृष्टि से प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है।

प्रदेश में अनुरक्षणाधीन एवं संचालित 4877 पाइप पेयजल योजनाओं में 3036 पूर्ण क्षमता पर तथा 1284 योजनाओं में ऑशिक रुप से संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

विवरण	जल निगम	ग्राम पंचायत	जल संस्थान	कुल योग
परियोजनाओं की स्थिति	2440	2309	151	4900

अधिनियम के अनुरुप पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था हेतु ढॉचा

वर्ष 1975 में जल सम्भरण तथा सीवर–व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के विकास तथा विनियमन और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 बनाया गया। अधिनियम के अर्न्तगत प्रदेश में तत्समय राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश जल निगम तथा क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओ के संचालन आदि हेतु जल संस्थान गढ़वाल, कुमायूँ एवं झॉसी का गठन किया गया। प्रदेश में पेयजल एवं सीवरेज सम्बन्धी कार्यो के नियोजन/कार्यान्वयन (निर्माण) का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम तथा योजनाओ के संचालन व अनुरक्षण हेतु जल संस्थानों को गठन किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3426/9–2(3)–79 दिनॉक 01 अगस्त 1979 एवं 2894/9–2–87–57 (93)–87 दिनॉक 16 मार्च, 1988 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण पेयजल योजनाओ के सन्दर्भ में जल संस्थान के अधिकार व दायित्व उत्तर प्रदेश जल निगम मे निहित किये गये। चित्रकूट मण्डल के गठन के उपरान्त झॉसी जल संस्थान को विभक्त कर झॉसी व चित्रकूट जल संस्थान की स्थापना की गई। पंचायती राज संस्थाओ के अधिकार सम्पन्न बनाये जाने के उपरान्त से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पाइप पेयजल योजनाओ के संचालन व अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम, झॉसी/ चित्रकूट जल संस्थान एवं ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

कार्यक्रम का विवरण

वर्ष 1974 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल से सम्बन्धित योजनाओ को क्रियान्वयन केन्द्र पोषित योजना के अर्न्तगत किया जा रहा था। राज्य पोषित योजना के रुप में वर्ष 1974–75 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अर्न्तगत पेयजल योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1977 में राज्य स्तर पर संसाधनो की कमी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना के रुप में त्वरित ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति योजना पुनः लागू की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्यॉश उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। वर्ष 1984 से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु राज्य पोषित पेयजल योजना संचालित की गई। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना लागू की गई तथा वर्ष 2002–03 से प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना का विलय प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना में कर दिया गया।